न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 400 दिनांक 28/03/2025

अनवान :–

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
पनाराम वगैरा	बनाम	अना वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 44/2024 दिनांक : 19.03.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बाछड़ाऊ के मौजा रुघपुरा के खेत खसरा सं. 488/358, 489/358 रकबा क्रमशः 06.3374, 07.6243 हैक्टयर एवं मौजा बाछड़ाऊ के खेत खसरा सं. 1076/442 रकबा 03.9902 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पैमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2025/ 401 to 404 दिनांक 28/03/2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी पन्नाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण अन्ना वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बी...

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.04.15 17:24:57 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन